कार्यालयः— मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौडी

आदेश / सेवा अराज / 570 / 3क(2) / 30प्रति0 / कांउसिलिंग / 2020—21 दिनॉक 05/02/2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली—2014 एवं संशोधित नियमावली 2019 के नियम—16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डलान्तर्गत वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को 30 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है। पदोन्नतियां प्रदान करने से पूर्व प्रस्तावित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु काउन्सलिंग निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार निश्चित की गई है।

क्र0सं0	विषय का नाम	कांउसिलिंग की तिथि	समय
1	हिन्दी	16—03—2021	प्रातः 10:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक
2	अंग्रेजी	17—03—2021	
3	विज्ञान	18—03—2021	
4	संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, व्यायाम, संगीत, गृह विज्ञान, वाणिज्य, उर्दू	19—03—2021	

काउसिलिंग हेतु वेबसाइट में जारी सूची में अंकित शिक्षक / शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि कांउसिलिंग हेतु निर्धारित तिथि / समय को वे अपने साथ समस्त मूल शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों / अद्यतन टीचर प्रोफाईल, प्राथमिक / प्रारम्भिक शिक्षा में प्रथम नियुक्ति आदेश / नियुक्ति पत्र (सम्पूर्ण दो सेट छायाप्रति) फाईल सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण मूल अभिलेखों की जांचोपरान्त एवं नियमावली में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने पर ही सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका को पदोन्नति प्रदान की जायेगी। काउसिलिंग की तिथि को सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका को On Duty समझा जायेगा। काउन्सलिंग हेतु विषयवार प्रस्तावित शिक्षकों की सूची तथा निर्देश विभाग की बेबसाईट (www. schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है।

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढवाल मण्डल, पौडी।

पृ0सं0 / सेवा.अराज. / 8022-32 / 3क(2) / 30प्रति0 / कांउसिलिंग / 2020—21 दिनॉक उक्तांकित्।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) गढ़वाल मण्डल को इस निर्देश के साथ की विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची में अंकित सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिकाओं को निर्धारित तिथि को उपरोक्तानुसार कांउसिलिंग में उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से भी सूचित करना सुनिश्चित करें।
3. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशलय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में (8x10 c.m. भाग में) सःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. कार्यालय पत्रावली हेतु।

5/2/21

महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौडी।

कार्यालयः– मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौडी

30 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से स0अ0एल0टी0 में पदोन्नति हेतु आवेदित प्र0अ0 रा0प्रा0वि0 एवं स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0/रा0आदर्श विद्यालय के शिक्षकों की कांउसिलिंग के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 एवं संशोधित नियमावली 2019 के नियम–16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत होनी है।
2. काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अध्यापकों को ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी।
3. पदोन्नति में विद्यालय आवंटन स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के पैरा–18 के अन्तर्गत किये जायेगें।
4. शिक्षक अपने सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण, नियुक्ति पत्र एवं अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों के साथ काउन्सलिंग की तिथि में उपस्थित होंगे।
5. सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के दो सैट स्वतः प्रमाणित अभिलेखों सहित दो पृथक–पृथक फाईलों में काउन्सलिंग की तिथि को उपलब्ध करायेंगे।
6. फाईल के कवर पर अध्यापक का नाम, विषय एवं पता काली स्केच पैन से लिखा जायेगा।
7. दोनों फाईलों के शीर्ष पर 30 प्रतिशत पदोन्नति वर्ष 2020 मोटे अक्षरों में लिखा जायेगा।
8. काउन्सलिंग का क्रम वही होगा जो पोर्टल में विषयवार अंकित है।
9. काउन्सलिंग तिथि को सभी शिक्षक On Duty समझें जायेंगे।
10. पोर्टल www.schooleducation.uk.gov.in में अपलोड सूची, अन्तिम सूची न समझी जाय, उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर प्रतीक्षा सूची अपलोड की जा सकती है।
11. विषयवार पोर्टल में अपलोड सूची में अंकित अन्तिम अभ्यर्थी से पूर्व नियुक्त आवेदित अध्यापक/अध्यापिका (जो उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 एवं संशोधित नियमावली 2019 में अवधारित शैक्षिक/प्रशिक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हों) का नाम सूची में छूट गया हो तो वे अपना प्रत्यावेदन अभिलेखों सहित स्वयं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में कांउसिलिंग की तिथि से 10 दिन पूर्व सम्बन्धित पटल सहायक को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। अन्यथा भविष्य में सम्बन्धित के आवेदन पत्र में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
12. यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के शैक्षिक/प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन किये जाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा 500.00 (पांच सौ रूपये) प्रत्येक अभिलेख (जिसका सत्यापन किया जाना आवश्यक हो) की दर से कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
गढवाल मण्डल, पौडी।